भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1998
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एआईएफ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा
1998. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा के प्रगतिशील विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति दी है;
(ख) यदि हां, तो आज तक देश में, और विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों को इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब तक एआईएफ से लाभान्वित किसानों का ब्यौरा क्या है;
(घ) इसने अब तक कृषि अवसंरचना को किस सीमा तक बढ़ाया और सुदृढ़ किया है, साथ ही इसने किसान समुदाय को किस सीमा तक सहायता प्रदान की है; और
(ङ) विभिन्न राज्यों और विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में एआईएफ का दायरा बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): 2020-21 में लॉन्च किए गए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का उद्देश्य फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके फसलोपरान्त प्रबंधन में अंतराल को कम करना है। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, शार्टिंग इकाइयों और राईपनिंग चैम्बर का सहयोग करके, एआईएफ नुकसान को कम करने, बिचौलियों को कम करने और बेहतर कीमतें सुरक्षित करने में किसानों को सक्षम बनाता है, जिससे अंततः उनकी आय में वृद्धि होती है। यह योजना सभी कृषि स्टेकहोल्डर्स को लाभान्वित करती है, जिससे समग्र क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। 9% ब्याज सीमा पर 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रावधान के साथ, एआईएफ वर्ष 2032-33 तक कार्य करता रहेगा, और इसमें 3% ब्याज सब्वेंशन और क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है।

देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने तथा कृषक समुदाय को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, सरकार ने दिनांक 28.08.2024 को एआईएफ योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। इन पहलों का उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना तथा इसे अधिक प्रभावशाली और समावेशी बनाने तथा एक मजबूत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना है। प्रगतिशील विस्तार के अंतर्गत शामिल प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ: वर्तमान में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, पॉली-हाउस और ग्रीन हाउस तथा मशरूम की खेती जैसी कुछ प्रौद्योगिकी संचालित परियोजनाएँ केवल कृषक समूहों के लिए आरक्षित थीं। तथापि इस प्रगतिशील विस्तार के साथ, व्यक्तिगत किसानों और उद्यमियों को इन उद्यमों तक एक्सेस प्राप्त हो सकेगा। इस कदम से उन व्यवहार्य परियोजनाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने की संभावना है जो सामुदायिक खेती क्षमताओं को बढ़ाएँगी, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा।

एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएँ: फसलोपरान्त प्रबंधन गतिविधियाँ पहले प्राइमरी प्रसंस्करण तक सीमित थीं। अब दायरा बढ़ाकर एआईएफ के तहत इंटिग्रेटेड प्राइमरी सेकेंड्री प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को पात्र गतिविधियों की सूची में शामिल किया गया है। इस उपाय से परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे कृषि बागवानी फसल के समग्र फसलोपरान्त मूल्य श्रृंखला विकास में भी मदद मिलेगी। तथापि स्टैंडअलोन सेकेंड्री प्रोजेक्ट पात्र नहीं होंगी और उन्हें एमओएफपीआई योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

पीएम कुसुम घटक-क: पीएम-कुसुम योजना का घटक-क जो बंजर परती खेती योग्य चारागाहों या दलदली भूमि पर 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है, अब एआईएफ योजना के साथ एकीकृत किया गया है। किसान/किसानों के समूहों/किसान उत्पादक संगठनों/सहकारी समितियों/पंचायतों के लिए एआईएफ के साथ यह कार्यनीतिक कंवर्जेंस व्यक्तिगत किसानों और समूहों दोनों को सशक्त बनाएगा, जिससे उनकी भूमिका खाद्य प्रदाता से ऊर्जा प्रदाता (अन्नदाता से ऊर्जादाता) बन जाएगी, साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ सतत स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

एनएबी संरक्षण: सीजीटीएमएसई के अलावा, नाबार्ड के तहत एफपीओ के लिए विशेष रूप से एनएबी संरक्षण के माध्यम से एक समर्पित क्रेडिट गारंटी कवर विंडो अब एआईएफ लाभार्थियों के लिए खुली रहेगी, जहां गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा। क्रेडिट गारंटी विकल्पों के इस विस्तार का उद्देश्य एफपीओ की वित्तीय सुरक्षा और क्रेडिट पात्रता को बढ़ाना है, जिससे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

एआईएफ योजना के दायरे में प्रगतिशील विस्तार से विकास को और गति मिलेगी, इनपुट लागत में कमी आएगी, उत्पादकता में सुधार होगा, दक्षता में वृद्धि होगी जिससे कृषि आय में वृद्धि होगी और देश में कृषि की समग्र स्थिरता में योगदान मिलेगा। ये उपाय देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी बल देते हैं।

एआईएफ योजना के प्रगतिशील विस्तार ने अधिक पात्र परियोजनाओं को शामिल करके, वित्तीय सहायता तंत्र को बढ़ा करके और स्थायी ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करके इसके प्रभाव को काफी हद तक व्यापक बना दिया है। इन उपायों ने एआईएफ को अधिक समावेशी बनाया है, एक मजबूत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है और किसानों और कृषि-उद्यमियों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित किया है। उल्लेखनीय है कि, इस विस्तार ने फरवरी 2025 के अंत तक 1,318 करोड़ रुपए की राशि की 812 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने में योगदान दिया है, जिससे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और तेजी आएगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में एआईएफ के तहत स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग) से (ड.): दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक एआईएफ के तहत 98744 परियोजनाओं के लिए 59943 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 44264 करोड़ रुपये योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 96680 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 25671 कस्टम हायरिंग सेंटर, 20216 प्राइमरी प्रसंस्करण यूनिट, 15125 वेयर हाउस, 3534 शार्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट, 2265 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 31933 अन्य प्रकार की कटाई-पश्चात प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि संपत्तियां शामिल हैं। 98744 परियोजनाओं में से किसानों को 10406 करोड़ रुपये की राशि के लिए 43,239 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र से 9 किसान एआईएफ योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं, जिनके लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए | एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लाभान्वित हुए किसानों की राज्यवार सूची **अनुबंध-ख** में दी गई है।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के दायरे का विस्तार करने के लिए कई रणनीतिक उपाय किए जा रहे हैं:

एआईएफ कार्यान्वयन के लिए जागरूकता फैलाने और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से बैंकर्स कॉन्क्लेव और राज्य कॉन्क्लेव आयोजित किए जाते हैं।

बैंकर्स के लिए एआईएफ प्रक्रियाओं की समझ को मजबूत करने और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं और कौशल निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एआईएफ पर पिछले तीन वार्षिक राष्ट्रीय बैंकर्स कॉनक्लेव नाबार्ड मुख्यालय, मुंबई में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे, जो एआईएफ के प्रभाव को बढ़ाने पर बैंकर्स के साथ विचार-विमर्श के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश में, राज्य एजेंसियों, राज्य परियोजना निगरानी यूनिट (एसपीएमयू) और लखनऊ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के साथ निरंतर इंगेजमेंट से ऑपरेशनल चुनौतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और समाधान सुनिश्चित होता है।

एआईएफ के तहत प्रगति की निगरानी, बाधाओं को दूर करने और परियोजना अनुमोदन और संवितरण में तेजी लाने के लिए एसपीएमयू और बैंकों के एआईएफ नोडल अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

******

लो.स.अता.प्र.सं.1998

अनुबंध-क

दिनांक **28.02.2025** तक एआईएफ के तहत राज्य-वार स्वीकृत संख्या और स्वीकृत राशि

(रुपए करोड़ में**)**

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्वीकृत सं.	स्वीकृत राशि
1	मध्य प्रदेश	12,495	8,494
2	महाराष्ट्र	10,418	6,790
3	उत्तर प्रदेश	8,563	6,269
4	पंजाब	21,740	5,162
5	गुजरात	3,615	3,991
6	कर्नाटक	3,877	3,527
7	तेलंगाना	2,687	3,286
8	राजस्थान	3,314	3,261
9	हरियाणा	5,508	3,361
10	आंध्र प्रदेश	2,831	2,902
11	तमिलनाडु	7,600	2,440
12	पश्चिम बंगाल	4,946	2,235
13	छत्तीसगढ	1,816	1,751
14	ओडिशा	2,639	1,564
15	बिहार	1,485	1,240
16	केरल	2,929	1,141
17	असम	532	907
18	उत्तराखंड	513	528
19	झारखंड	399	441
20	जम्मू और कश्मीर	177	345
21	हिमाचल प्रदेश	588	205
22	दिल्ली	11	14
23	त्रिपुरा	9	14
24	चंडीगढ़	5	11
25	गोवा	27	40
26	मेघालय	3	10
27	अरुणाचल प्रदेश	5	6
28	नागालैंड	3	4
29	पुदुचेरी	5	4
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
31	मणिपुर	3	1
	कुल योग	**98,744**	**59,943**

अनुबंध-ख

28 फरवरी, **2025** तक किसानों के लिए स्वीकृत राज्य-वार एआईएफ परियोजनाएं

(रुपए करोड़ में**)**

ज़िला	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत राशि**
पंजाब	15487	2079
मध्य प्रदेश	4282	1593
महाराष्ट्र	**4969**	**1337**
कर्नाटक	1444	1050
हरियाणा	3468	766
उत्तर प्रदेश	**3187**	**649**
पश्चिम बंगाल	3402	620
राजस्थान	1055	421
गुजरात	1255	402
तमिलनाडु	827	347
तेलंगाना	425	224
बिहार	457	206
ओडिशा	713	199
आंध्र प्रदेश	561	131
छत्तीसगढ	557	129
केरल	280	78
हिमाचल प्रदेश	418	67
उत्तराखंड	226	57
जम्मू और कश्मीर	81	23
झारखंड	108	13
असम	27	9
गोवा	6	3
पुदुचेरी	2	2
चंडीगढ़	1	0
त्रिपुरा	1	0
कुल योग	**43,239**	**10,406**

******